"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 — माघ 27, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक 1656/डी. 39/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-02-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 6 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2018

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए राज्य की संचित निधि में से 1412,47,76,900 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2018 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार चार सौ बारह करोड़ सैंतालीस लाख छियत्तर हजार नौ सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	100	0	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	28,36,100	0	28,36,100
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	15,70,500	0	15,70,500
03	पुलिस	राजस्व	3,48,00,00,000	0	3,48,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	48,95,00,000	0	48,95,00,000
		पूंजी	65,60,00,000	0	65,60,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	200	0	200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	4,00,00,000	4,00,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,25,00,00,000	0	4,25,00,00,000
		पूंजी	12,50,00,000	0	12,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,23,16,10,100	0	3,23,16,10,100
		पूंजी	59,35,60,000	0	59,35,60,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	4,16,00,000	0	4,16,00,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	56,58,000	0	56,58,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	1,200	0	1,200
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,02,00,00,000	0	1,02,00,00,000
		पूंजी	18,74,40,000	0	18,74,40,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	पूंजी	100	0	100
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	200	0	200
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	300	0	300
		पूंजी	100	0	100
	योग -	**राजस्व**	**12,52,27,76,300**	**0**	**12,52,27,76,300**
		पूंजी	**1,56,20,00,600**	**4,00,00,000**	**1,60,20,00,600**
	वृहद योग		**14,08,47,76,900**	**4,00,00,000**	**14,12,47,76,900**

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक 1656/डी. 39/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-2-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 6 of 2018)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2018

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2017-2018.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- ninth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 1) Act, 2018.

Issue of Rs. 1412,47,76,900 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-2018.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2018, amounting in the aggregate to the sums of One Thousand Four Hundred Twelve Crore Fourty Seven Lakhs Seventy Six Thousand Nine Hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
.	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	100	0	100
01	General Administration	Revenue	28,36,100	0	28,36,100
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	15,70,500	0	15,70,500
03	Police	Revenue	3,48,00,00,000	0	3,48,00,00,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department	Revenue	48,95,00,000	0	48,95,00,000
		Capital	65,60,00,000	0	65,60,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	Capital	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
23	Water Resources Department	Capital	0	4,00,00,000	4,00,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	Revenue Capital	4,25,00,00,000 12,50,00,000	0 0	4,25,00,00,000 12,50,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	3,23,16,10,100 59,35,60,000	0 0	3,23,16,10,100 59,35,60,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department	Revenue	4,16,00,000	0	4,16,00,000
51	Expenditure pertaining to Religious Trusts and Endowments Department	Revenue	56,58,000	0	56,58,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare	Revenue	1,200	0	1,200
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	1,02,00,00,000 18,74,40,000	0 0	1,02,00,00,000 18,74,40,000
66	Welfare of Backward Classes and Minorities	Capital	100	0	100
67	Public Works-Buildings	Capital	200	0	200
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department	Revenue Capital	300 100	0 0	300 100
	Total-	**Revenue** **Capital**	**12,52,27,76,300** **1,56,20,00,600**	**0** **4,00,00,000**	**12,52,27,76,300** **1,60,20,00,600**
	Grand Total		**14,08,47,76,900**	**4,00,00,000**	**14,12,47,76,900**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018